आ दे श

प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु शासन ने अपने आदेश संख्या २९४४।३६-चार-९४-१३४।८ दिनांक २२ सितम्बर १९९४ द्वारा शासनादेश संख्या २३३।३६-चार-१९८८-१३४।८५ दिनांक २१ जनवरी १९८८ के अन्तिम प्रस्तर में निर्धारित समय सीमा दिनांक ३० जून १९८८ को विस्तारित कर अब ३१ दिसम्बर १९९४ तक कर दिया गया है। गत दिनों आवन्टन। विनियमितीकरण प्रक्रिया पूरी करने में विभिन्न समस्यायें संज्ञान में लाई गई हैं, जिनसे आवन्टन। विनियमितीकरण में एकरूपता न आ पाने के कारण अनावश्यक पत्राचार में विलम्ब होता है। अतएव श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश से विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों, गृह निरीक्षकों एवं सहायक गृह निरीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित नीति के अनुसार ही आवन्टन। विनियमितीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जाय :-

१- क्षतिपूर्ति का निर्धारण

आवन्टन। विनियमितीकरण के मामलों में मुख्य रूप से अनाधिकृत निर्माण, अधिक बकाये राजस्व तथा विरासत के आधार पर आवन्टन। विनियमितीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों में वर्ष १९८४ से क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए श्री जे०एस०पी० पाण्डेय, तत्कालीन अपर श्रमायुक्त द्वारा निर्गत आदेश दिनांक ११-५-९० (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती रही है। इन्हीं आदेशों के अनुरूप विनियमितीकरण अभियान की अन्तिम तिथि तक यह क्षतिपूर्ति आवंटियों से ली जाती रहेगी। ऐसे मामलों में अध्यासियों से इस आशय का शपथपत्र भी प्राप्त किया जाय कि वे निर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान करके आवंटन। विनियमितीकरण के लिए सहमत हैं। यदि शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी समया-नुकूल कराई जायेगी।

२- मानक किराये पर आवन्टन

शासनादेश संख्या ३२६५।३६-४-९०-७।म०आ०।८९ दिनांक २९ नवम्बर १९९० के अनुसार अनाधिकृत। शिकमी अध्यासन की दशा में एक कमरे वाले आवास का रु० १२५।- तथा दो कमरे वाले आवास का रु० २३५।- प्रति माह का मानक किराया निर्धारित किया गया है। शासनादेश में स्पष्ट रूप से अंकित है कि पात्र कथित यदि श्रमिक बस्तियों में अनाधिकृत कब्जेदार। शिकमी किरायेदार की श्रेणी में आता है तो ऐसे कब्जेदार से किराये की वसूली उनके द्वारा श्रमिक बस्तियों में कब्जे की तिथि से होगी। अतएव शासन हित को ध्यान में रखते हुए श्रमायुक्त, उ०प्र० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मानक किराये की वसूली कब्जेदारी अथवा निरस्तीकरण की तिथि से (जो भी पहले हो) की जायेगी।

३- निरीक्षण की जाँच

अध्यासियों द्वारा सेनायोजन सम्बन्धी जो प्रमाण पत्र संलग्न किये जाते हैं उनका सत्यापन गृह निरीक्षकों द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। अतएव निजी क्षेत्र के उपक्रम एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन की जाँच मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत श्रम प्रवर्तन अधिकारियों से कराई जायेगी। जाँच के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर गृह के आवन्टन की कार्यवाही की जायेगी।

४- मान० उच्च/उच्चतम न्यायालयों द्वारा पारित स्थगनादेश

प्रदेश स्थित सभी औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अध्यासियों द्वारा वर्ष १९९१ से १९९३ तक मान० उच्च/उच्चतम न्यायालयों याचिका दायर कर इस आशय के स्थगनादेश प्राप्त कर लिये गये हैं कि जब तक रिट पेटीशन का निस्तारण न हो जाय, अध्यासियों से ३५/- रु० प्रति माह किराया ही लिया जाय। इन मामलों में श्रमायुक्त, उ०प्र० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन अध्यासियों द्वारा मानक किराये के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं उनसे किराया इस शर्त के साथ जमा करा लिया जाय कि रिटों के जो भी अन्तिम निर्णय माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये जायेंगे उसके अनुसार अध्यासियों द्वारा किराये का भुगतान किया जायेगा तथा यदि कोई किराये की धनराशि अवशेष होगी तो उनके द्वारा समायोजन उपरान्त उसका भी भुगतान किया जायेगा। ऐसे मामलों में विनियमितीकरण की तिथि से मानक किराया निर्धारित करते हुए विनियमितीकरण के आदेश निर्गत कर दिये जायं तथा आदेश में यह भी स्पष्टरूप से उल्लेख किया जाय कि विनियमितीकरण के अन्तिम आदेश माननीय उच्च/उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही पारित किये जायेंगे। अध्यासियों को किराये की जो रसीद जारी की जायेगी उस पर भी मान० उच्च/उच्चतम न्यायालय का हवाला दिया जाये तथा यह भी अंकित कर दिया जाये कि यह रसीद प्रोविजनल होगी।

२- शासनादेशों के अनुपालन में जो भी आवेदन/विनियमितीकरण के मामले निस्तारित किये जायें उनकी मासिक सूचना मेरे नाम से निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जायेगी।

(रनवीर सिंह)
अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
कृते श्रमायुक्त, उ०प्र०

कार्यालय श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर

संख्या /गृह कानपुर दिनांक, अक्टूबर २८, १९९४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त
२- समस्त गृह निरीक्षक/सहायक गृह निरीक्षक
३- सहायक लेखा अधिकारी (गृह)
४- श्रमायुक्त, उ०प्र०, कानपुर
५- कार्यालय अवीक्षक (गृह - सभी सहायकों के लिए सूचनार्थ
६- अपर/उप श्रमायुक्त (गृह)/शिविर)

(रनवीर सिंह)